International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

ग्रामीण परिवेश में कार्यरत सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ

डॉ0 कुसुम लता
बेला मार्ग, विष्णुपुरी,
अलीगढ़।

प्रस्तुत आलेख में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उन संस्थाओं की व्याख्या की गई है जो ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आर्थिक व सामाजिक स्तर को सुधारने के लिये कार्यरत हैं। ग्रामीण अंचल में छोटे–छोटे घरेलू व कृषि आधारित कुटीर उद्योग के विकास हेतु ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली व इन संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि हमें गाँव की ओर जाना ही होगा। हमें ग्रामीणों को उनके पूर्वाग्रहों से, अन्धविश्वासों से और संकीर्ण विचारों से मुक्त करना होगा। ऐसा करने के सिवाय और कोई तरीका है ही नहीं। हमें उनके बीच गाँवों में रहना होगा। गरीबों को सुख–दुःख का भागीदार बनाया जाय तथा उनको शिक्षा का ज्ञान दिया जाय।

पिछले वर्षों में जितना लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जहाँ कभी दूध दही की नदियाँ बहा करती थीं वह भारत गरीबी से बेहाल है। 40 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन के लिए मजबूर है। उन्हें न तो बिजली, पानी, पहनने को कपड़े, सिर छिपाने को घर, नई बुनियादी सहूलियतें मिलती हैं। कहने का अर्थ है दोनों समय खाने के लिए

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

रोटी भी नहीं मिल पाती। कभी उन्हें बाढ़ उजाड़ती है, कभी भूकम्प आ जाता है, कभी आँधी, तूफान। यही सिलसिला सदियों से बिना रुके चल रहा है।

हम हर क्षेत्र में बिना रुके प्रगति कर रहे हैं परन्तु अभी भी गरीबी से लड़ रहे हैं। भारत लगभग 70 प्रतिशत अभी भी ग्रामों में रहता है तथा दो तिहाई लोग खेती में काम करके या कोई गाँव में छोटा–मोटा धन्धा करके गुजर बसर कर रहे हैं। बढ़ती आबादी के कारण गाँव ही नहीं बल्कि शहर व कस्बा इस गरीबी की चपेट में है। शहर व कस्बे के लोग छोटा–मोटा काम करके दो समय की रोटी जुटा लेते हैं लेकिन गाँव आज भी विकास से वंचित है।

इस बात को ध्यान में रखकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को शुरू किया था। बैंकों को गाँवों तक फैलाया गया, जहाँ किसानों, मजदूरों, अन्य को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ हुआ। ग्रामीणों ने अपने को बैंकों से जोड़ा, परन्तु जितनी आशा थी, उतना नहीं जुड़ पाये। बैंकों द्वारा ऐसी प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया जो कि गरीबों के लिए ही हो, जो उनकी बचत व ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करती हो। गरीबों की आर्थिक स्थिति तब ही ठीक होगी, जब उन्हें नियमित आय होगी। ऐसा तभी सम्भव होगा जब स्वरोजगार, व्यापार या छोटे काम धन्धे चलाने के लिए आसानी से उसे कर्ज मिल सके और इसी की सोच का परिणाम स्वयं सहायता समूह की अवधारणा है।

1991 में घोषित आर्थिक सुधारों तथा वैश्वीकरण की नीतियों के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वामित्व लाने के लिये अनेकानेक ऐसी नीतियों की घोषणा की गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल, आर्थिक ढाँचे को मजबूती प्रदान की जा सके, साथ ही देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग बसता है, उसकी आर्थिक

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

स्थिति को मजबूत किया जा सके। ग्रामीण विकास का कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का मूल आधार है क्योंकि यदि एक वृहद जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में बदलाव आयेगा तो क्रयशक्ति में वृद्धि की दर विनियोग और उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव डालकर देश की विकास दर को वृद्धि की ओर अग्रसित करेगी।

विगत कुछ वर्षो में किये गये ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत के गाँव तेजी से सम्पन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार 2004–05 से 2009–10 के बीच ग्रामीण बेरोजगारी में 39 लाख की कमी आई है। गाँव के लोगों की आय तेजी से बढ़ रही है, 2011 की क्रेडिट सुइस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) शहरी भारत के मुकाबले 1.5 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है। ग्रामीण भारत में जहाँ यह बढ़त 6.2 प्रतिशत रही वहीं शहरी भारत में यह सिर्फ 4.7 प्रतिशत ही रही।

ग्रामीण भारत में इस मूल परिवर्तन का कारण आधारभूत संरचना का विकास, परिवहन व संदेशवाहन की स्थितियों में परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के फैलाव से सरकारी नीतियों के प्रति जनता की जागरूकता, शिक्षा व स्वास्थ्य के विकास के साथ–साथ लघु वित्तीय स्त्रोतों की उपलब्धता रही जिससे धीरे–धीरे वर्तमान में भारत के ग्रामीण व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है और काफी हद तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बनाये रखने के लिये स्वयं सहायता समूहों तथा सूक्ष्म वित्तीय स्त्रोतों का विकास हो रहा है।

1. सहकारी वित्त समितियाँ और ऋण संघ

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

ग्रामीण साख के संस्थागत स्त्रोतों में सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को ग्रामीण साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने तथा कृषि कार्यकलापों के संचालन के लिए पर्याप्त और सस्ती ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी साख संस्थाओं का विकास किया गया है। देश में इनका त्रिस्तरीय संगठन है – ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। यह संस्थायें अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन ऋण सुविधायें प्रदान करती हैं।

प्राथमिक सहकारी वित्त संस्थायें

गाँव के कोई 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इनको कार्यशील पूँजी, सदस्यों के सदस्यता शुल्क, जन निक्षेप तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण आदि के रूप में प्राप्त होती है। इनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। देश में प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 1950–51 में 1.05 लाख थी जो बढ़कर 1960–61 में 2.12 लाख हो गई। तत्पश्चात इनके पुर्नगठन के फलस्वरूप इनकी संख्या कम होकर वर्ष 1970–71 में 1.61 लाख, वर्ष 1980–81 में 0.94 लाख, 1990–91 में 0.88 लाख हो गई। वर्ष 1996–97 में इन समितियों की संख्या पुनः बढ़कर 0.13 लाख हो गई।

जिला सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक

यह बैंक वे सभी कार्य करते हैं जो एक व्यवसायिक बैंक द्वारा किये जाते हैं। यह बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनकी सदस्यता केवल प्राथमिक सहकारी समितियों को ही प्राप्त हो सकती है तथा दूसरी प्रकार के बैंक वे होते हैं जिनके सदस्य

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ–साथ निजी व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये बैंक नगरीय क्षेत्रों में होते हैं। मार्च 2002 में देश में इन बैंकों की संख्या 368 थी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएँ वर्ष 1950–51 में 779 से बढ़कर 2001–02 तक 12,652 हो गई।

राज्य सहकारी बैंक

यह बैंक सम्बन्धित राज्य के मुख्यालय पर स्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक को ऋण सुविधायें प्रदान करना है। इनकी अंश पूँजी केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार व जनता द्वारा मिलकर दी जाती है। वर्ष 1951–52 में 16 राज्यों में ही राज्य सहकारी बैंक कार्यरत थे जो बढ़कर 1985–86 में 29 हो गये। वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में कुल 31 राज्यों में सहकारी बैंक कार्यरत हैं। देश में कुल कृषि ऋण वितरण में सहकारी बैंकों का हिस्सा 22.20 प्रतिशत है।

सहकारी वित्त संस्थाओं की कमजोरियाँ

सहकारी ऋण संरचना विभिन्न कारणों से गम्भीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। जिससे व्यवहार रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता तथा कृषक समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने के कार्य को प्रभावी ढंग से निभाने और उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने की क्षमता सीमित रही है। संसाधन जुटाने की सीमित क्षमता दिये गये अग्रिम/ऋण की वसूली को बार–बार स्थगित किये जाने, संचालित ब्याज दरें और बाहर से नियंत्रण आरोपित किये जाने से प्रणाली की स्थिति प्रभावित हुई है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

यद्यपि उनकी वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें सुदृढ़, व्यवहार्य, ठोस, आत्मनिर्भर गतिशील तथा प्रजातांत्रिक बनाने के लिए भी कई उपाय प्रारम्भ किये गये हैं तथापि ये संस्थायें अल्पविकसित रही हैं। ऋण में छूट, वर्तमान संचित हानियाँ, असन्तुलन विवेकपूर्ण मानदण्डों को अपनाने पर जोर देने तथा न्यूनतम भागीदारी की सीमा आदि जैसे बाह्य आरोपित नीतिगत उपाय आदि नियमित ब्याज दर क्षेत्र के प्रभाव से सहकारी ऋण संरचना की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अतः इनकी पुर्नस्थापना के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

2. ग्रामीण बैंक (श्रेयस ग्रामीण बैंक)

ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों में मूलभूत बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराने व उन ग्रामीण जनसमूहों की बचतों के संग्रहण करने के दृष्टिकोण से की गई थी जिन्हें किसी एक या अन्य कारण से व्यवसायिक बैंकों द्वारा पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही थी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई थी कि बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे जनसमूह को उनके आर्थिक क्रियाकलापों यथा कृषि, कुटीर एवम् लघु उद्योगों, फुटकर व्यापार, दुग्ध उत्पादन व अन्य सहायक क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु सक्षम बनाने के लिये ऋण सुविधायें प्रदान करें।

ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्रों में ऋणों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पात्र व्यक्तियों को नये किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने एवं नई लागू की गई ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण करने पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया है। शाखा स्तर पर

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

एवं विभिन्न शाखाओं ने मिलकर सामूहिक तौर पर अनेकों ऋण शिविरों का आयोजन कर पात्र कृषकों को नवीन क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किया जा रहा है।

ये बैंक ग्रामीण वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वर्तमान में विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही हैं जिसमें प्रमुख रूप से – (1) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, (2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, (3) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, (4) ग्रामीण आवास वित्त योजना, (5) शारीरिक कमजोर विकलांग व्यक्तियों को नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन की योजनान्तर्गत वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना आदि।

बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्तीय प्रबन्धन के तहत भी (1) सोलर होम लाइटिंग के अन्तर्गत वित्त पोषण, (2) संयुक्त देयता समूहों (जे0एल0जी0) का गठन /वित्त पोषण, (3) स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) का गठन/वित्त पोषण, (4) सूक्ष्म बीमा उत्पाद योजना, (5) महिला विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, (6) आर्यावर्त ग्रामीण विकास ट्रस्ट का गठन आदि।

ग्रामीण बैंक ने अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली भूमिहीन जनसंख्या तथा गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही सूक्ष्म वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों व कृषि आधारित कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

देश में कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विभिन्न साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा कृषि साख को एक छाते के नीचे लाने के उद्देश्य से 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई जिसने 15 जुलाई, 1982 में कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस बैंक को कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के समस्त कार्य तथा वे सभी कार्य सौंपे गये हैं जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक है, उसी प्रकार कृषि विकास के लिए यह सर्वोच्च बैंक के रूप में है जो सभी साख एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय करते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करती है। इस तरह यह बैंक कृषि के विकास, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, दस्तकारी एवं अन्य ग्रामीण कलाओं तथा गाँव में चलने वाली अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सुलभ कराने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण योजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सर्वोच्च संगठन है।

इस बैंक की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रूपये है। जो अगले 5 वर्षों में 2,000 करोड़ रू0 कर दी जायेगी। वर्तमान समय में इसकी पूँजी 330 करोड़ रूपये है जिसका आधा भाग केन्द्र सरकार ने तथा आधा भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दिया है। यह बैंक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्राण्ड अथवा ऋणपत्र जारी कर सकती है जिस पर मूलधन व ब्याज की वापसी पर केन्द्र सरकार की गारण्टी होगी।

नाबार्ड के कार्य

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

1. समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने के लिए नाबार्ड कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों एवं ग्राम दस्तकारियों और अन्य सम्बन्धित कार्यों के समस्त उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।
2. यह राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
3. यह राज्य सरकारों को दीर्घकालीन (20 वर्ष की अवधि तक) ऋण देता है ताकि वे सहकारी ऋण समितियों की हिस्सा पूँजी में योगदान दे सकें।
4. यह केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकता है या कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित किसी भी संस्थान की हिस्सा पूँजी या प्रतिभूतियों में विनियोग में योगदान दे सकता है।
5. इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों, योजना आयोग और अन्य अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर के संस्थानों की उन क्रियाओं का समन्वय करे जो लघु, कुटीर एवं ग्राम, उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारियों तथा पिछड़े एवं विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में उद्योगों आदि के विकास से सम्बन्धित है।
6. इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण करे।
7. यह कृषि तथा ग्रामीण विकास में अनुसन्धान को प्रोन्नत करने के लिए अनुसन्धान एवं विकास निधि भी रखता है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

4. स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह बैंक सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः उन ग्रामीण गरीबों पर केन्द्रित है जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक कोई मजबूत पहुँच नहीं है। अतः इसके लक्ष्य समूह में आमतौर पर लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर और गैर–खेतिहर मजदूर कारीगर और दस्तकार तथा खोमचे एवं फेरी आदि जैसे छोटे कारोबार में लगे अन्य निर्धन शामिल हैं।

भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति जिनकी एक सी होती है, को समूह आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन करने की प्रवृत्ति रही है जैसे गाँव पंचायत की गतिविधियों का संचालन, मिलजुल कर खेत काटना, पौध लगाना, पूजा स्थलों का निर्माण आदि सभ्यता के विकास के साथ कठिन कार्यों को आसान करने के लिए मिलजुल कर सहायता करना सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाने लगा। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूह एक तरह से बहुत छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाला निर्धन ग्रामीणों के समूह का छोटा मोटा बैंक है। इसे बैंक इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी बैंक की तरह रूपयों का लेन–देन होता है। सदस्य प्रत्येक माह में एक निश्चित बचत कर इसमें जमा करवाते हैं व जरूरत के समय वे इस बैंक से पैसा उधार लेते हैं जिस पर (शादी ब्याह, बीमारी के इलाज, कृषि कार्य आदि) उन्हें ब्याज देना पड़ता है। यह धन निश्चित समय में जमा करना होता है। यह बैंक रजिस्टर्ड नहीं होता फिर भी समूह के अपने नियम कानून होते हैं जिन पर सभी सदस्यों को अमल करना होता है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

जब समूह 6 माह या एक साल काम करके अनुभवी हो जाता है, तब वह बड़े बैंकों से जुड़ जाता है। होमोजीनस समूह वह है जो अपनी आय में से सबकी सहमति से तय की गयी छोटी राशियों की बचत के लिए सदस्यों की अपनी इच्छा से बनाया जाता है। इससे सदस्यों की सामान्य धनराशि जमा होती है जिससे समूह के सदस्यों को उनकी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और उत्पादन गतिविधियों अर्थात् आय अर्जित कार्यकलापों को चलाने के लिए कर्ज दिया जाता है और स्वयं सहायता समूह अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों का गठन

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के 10–20 व्यक्ति रखे जायेंगे जिनका आर्थिक सामाजिक स्तर एक सा हो तथा बी0पी0एल0 के अन्तर्गत चयन खुली बैठक में किया गया हो। लघु सिंचाई कार्यक्रम या विकलांगों द्वारा बनाये समूह में संख्या 8 भी हो सकती है। समूह में एक परिवार से एक ही सदस्य होगा। समूह तथा ऋण भी सदस्यों के द्वारा अपना कोष बनायेंगे तथा ऋण भी सदस्यों को दिया जायेगा। समूह के गठन में 50 प्रतिशत पुरुष तथा 50 प्रतिशत महिलायें होंगी। कुछ मिश्रित (पुरुष महिला) होंगे। प्रत्येक विकास खण्ड में 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के होंगे, पंजीकरण करा सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह जो पिछले 6 माह से कार्य कर रहे हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से लाभकारी समूह होने की क्षमता प्रदर्शित की है, को रिवाल्विंग फण्ड दिया जायेगा। इन समूहों को कैश क्रेडिट सुविधा के रूप में बैंक से 25,000/– रूपये का

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

रिवाल्विंग फण्ड दिया जायेगा। 10,000/– रूपये पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा क्योंकि यह धन बैंक को डी0आर0डी0ए0 द्वारा दिया गया है। 10,000/– रूपये से अधिक राशि पर बैंक नियमानुसार ब्याज लेगी।

5. अन्य सूक्ष्म वित्तीय संस्थायें

अन्य सूक्ष्म वित्तीय संस्थायें निम्नलिखित हैं :–

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम
3. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति की योजना
5. किसान क्रेडिट कार्ड
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. भूमि विकास या भूमि बन्धक बैंक

संदर्भ सूची

1. जैन, पी0एल0 (1990), ''को–ऑपरेटिव क्रेडिट इन रूरल इण्डिया'', मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. हरिहर, भक्ता (1989), ''फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एण्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन'', मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences

ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019

Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

3. मिश्रा एवं पुरी (2011), ''इण्डियन इकोनोमी'', हिमालय पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
4. शर्मा, के0सी0 (2007), ''मॉडर्न बैंकिंग इन इण्डिया'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. वर्मा, एस0बी0, गुप्ता, एस0के0 एण्ड शर्मा, एम0के0 (2007), ''ई–बैंकिंग एण्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. भारती, ऊषा (2011), ''योजना क्रियान्वयन और स्वयं सहायता समूह'', योजना, जून।
7. सिंह, सुरजीत (2012), ''स्वयं सहायता समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण हरिद्वार क्षेत्र का अध्ययन'', यू0पी0यू0ई0ए0 इकॉनोमिक जनरल वोल्यूम–8
8. कुसुमलता, शोध प्रबन्ध, ''ग्रामीण विकास में सूक्ष्म वित्त का योगदान (अलीगढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में), 2014
9. कुरूक्षेत्र पत्रिका
10. योजना पत्रिका

———

© Associated Asia Research Foundation (AARF)